छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 220/2006</u>

श्री राजकुमार दरयानी, ... अपीलार्थी
निवासी बुधवारी बाजार,
सक्ती,
जिला–जांजगीर चांपा
(छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा
(छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(25 अगस्त 2006)

अपीलार्थी श्री राजकुमार दरयानी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा के द्वारा जानकारी निर्धारित अवधि में प्रदान न करने के फलस्वरूप प्रथम अपील में कोई आदेश पारित न होने के कारण द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी से जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार, सक्ती को प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही न होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा संबंधित आवेदन पत्र पर संपूर्ण आदेश की प्रतिलिपियां चाही गई। उक्त अभिलेख निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के समक्ष दिनांक 24–4–2006 को प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 2–6–2006 के द्वारा आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय) के पत्र दिनांक 28–7–2003 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 1495/ब–121/05–06 के संपूर्ण आदेश प्रतियों की नकल तथा प्रकरण में पारित अंतिम आदेश की नकल चाही थी, जिसे न दिये जाने के फलस्वरूप उसने प्रथम अपील की थी। उक्त दस्तावेज क्यों नहीं दिये जा सकते इसका कोई कारण जन सूचना अधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया। अपीलार्थी को केवल एक पेज के दस्तावेज की प्रति ही प्राप्त हुई। अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने प्रथम अपील में अंतिम आदेश की नकल बिना किसी

शुल्क के उपलब्ध न कराते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया। अतः अपीलार्थी ने इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती को नोटिस जारी किया तथा दिनांक 25–7–2006 को दोनों पक्षों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन भी किया गया।

अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी को नकल एवं जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है तथा जिन दस्तावेजों की प्रतियां उसके द्वारा चाही गई थी वे गोपनीय स्वरूप के नहीं है। अतः उसे इसकी प्रतियां दिये जाने के आदेश अपीलीय अधिकारी को दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ने बताया कि उसका प्रकरण जाति प्रमाण–पत्र से संबंधित है। पूर्व में तहसीलदार, सक्ती के द्वारा जाति का प्रमाण–पत्र तैयार किया किन्तु बाद में उसे निरस्त कर दिया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसने स्वयं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा अपीलार्थी के पुत्र को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिनांक 18–6–2005 को पारित किया था, जिसे स्वयं आवेदक ने देखा था, किन्तु उसकी नकल नहीं दी गई। तहसीलदार के द्वारा आवेदक को दिनांक 19–4–2006 को आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 10–6–2006 के संबंध में प्रकरण क्रमांक 294–बी–121/05–06 के आवेदन पर शपथ पत्र, अंतिम आदेश आदि की प्रति 21 पृष्ठ प्रदान की। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के जिस पत्र क्रमांक की प्रति उसने मांगी है वह सामान्य प्रशासन विभाग से ही प्राप्त की जा सकती है। शासन ने उक्त पत्र की छायाप्रति ही तहसील में भेजी है। प्रकरण से संबंधित बुक नंबर 36 सिरियल नंबर 3548 दिनांक 21–6–2005 की प्रति मांगी गई है किन्तु उक्त आदेश में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने से उसकी प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण उसे अधिकृत अभिलेख नहीं माना जा सकता।

प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यही है कि उसे दिनांक 21–6–2005 की प्रति दी जावे।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा बुक नंबर 36 सिरियल नंबर 3548 से संबंधित प्रतिलिपि मांगी गई थी। चूंकि उक्त बुक में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, अतः उसे अधिकारिक अभिलेख के रूप में मान्य नहीं किया जाकर उसकी प्रतिलिपि नहीं दी गई। जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि जाति प्रमाण–पत्र पूर्व में तैयार किया गया तथा बाद में नहीं दिया गया। प्रतिअपीलार्थी का यह कथन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई फोटोकापी की प्रमाणित प्रतिलिपि उसे नहीं दी गई, चूंकि उक्त फोटोकापी आवेदक के ही द्वारा प्रस्तुत की गई थी वह भी अभिप्रमाणित नहीं थी। अतः बिना अभिप्रमाणित फोटोकापी को अभिप्रमाणित कर आवेदक को दिया जाना नियम के विपरीत है। अपीलार्थी का मुख्य उद्देश्य जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना है, जिसकी जांच उपरांत ही उसे प्रमाण–पत्र प्राप्त हो सकता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा जिस प्रकरण के अभिलेखों की प्रतिलिपियां मांगी गई थी वह उसे दिनांक 19–04–2006 के पत्र के द्वारा दे दी गई हैं, जो अधिकृत अभिलेख नहीं है, उनकी प्रतिलिपियां नियमानुसार दिया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान की जा चुकी है।

अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त